प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी विजय पुत्र श्री दुलीचन्द, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-28918/प्रो0(6)/229/2023, दिनांक 24.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी विजय पुत्र श्री दुलीचन्द, जो म0नं0-1-बी-1069, सेक्टर-3, माधवपुरम, आवास विकास, थाना-ब्रह्मपुरी, जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनाक 14.09.2003 को वादी का किरायेदार विजय शराब के नशे में आने के उपरान्त वादी की पुत्री आयु ढाई वर्ष को गोद में खिलाते हुये मकान की छत पर ले जाकर बलात्कार कर रहा था। पुत्री के रोने की आवाज सुनकर वादी व अन्य द्वारा विजय को पकड़ लिया गया, जो मौके पर एकत्र भीड़ तथा अंधेरे के कारण भाग गया। खून से लथपथ पुत्री को अस्पताल ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-943/2003 में भा0द0वि0 की धारा-376(2) के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-03, मेरठ के आदेश दिनांक 27.05.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.04.2016 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.09.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2023 तक 20 वर्ष, 00 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा अबोध बच्ची काजल (उम्र ढाई वर्ष) के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार करने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बंदी की उम्र 42 वर्ष होने के दृष्टिगत एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र दुलीचन्द की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय (बन्दी संख्या-12097) पुत्र श्री दुलीचन्द, निवासी जनपद-मेरठ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-558/2025/1557(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।